राजकीय ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 5(1)2023 / कार्मिक / प्रमुवसं--02393 / 633 दिनांक : 12/06/24

–:: कार्यालय आदेश ::–

मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर के पत्रांक एफ( ) कार्मिक / मुवसंक्षेनि / 2024 / 1669 दिनांक 05.06.2024 द्वारा की गई अभिशंषानुसार श्री अशोक कुमार, वनरक्षक को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित विवरणानुसार उनकी स्वयं की प्रार्थना पर विदेश यात्रा हेतु सिंगापुर जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पद	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	पदस्थान स्थान	विदेश भ्रमण अवधि
1	श्री अशोक कुमार, वनरक्षक	08.08.1988	30.05.2016	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, भरतपुर	19.06.2024 से 24.06.2024

शर्तें :–

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगें, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिि चत करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थिति रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित माना जावेगा एवं उनके विरूद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 82 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश की वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेवे :
   (i) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय / संस्था का राजकार्य / शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
   (ii) कार्मिक के द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
   (iii) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित / विचाराधीन नहीं है।
   (iv) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच / कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व संबंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जावेगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन / व्यवसाय / नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।

RajKaj Ref
7980196

11. विदेश यात्रा के दौरान किसी भी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।
12. वे विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेंगे एवं अवकाश समाप्त होते ही कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया आपकी होगी।

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 5 (1)2023/कार्मिक/प्रमुवसं प्रमुवसं–02393/ 634-35 दिनांक 12/06/24
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर को उनके पत्रांक 1669 दिनांक 05.06.2024 के क्रम में।
2. श्री अशोक कुमार, वनरक्षक, कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, भरतपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7980196

Document certified by ARIJIT BANERJEE <ariban@gmail.com>.

Digitally Signed by ARIJIT BANERJEE
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date :12-06-2024 10:49:34